**समक्ष न्यायालयः अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस. एक्ट भानपुरा, जिला मंदसौर म.प्र.**
**समक्षः– जितेन्द्र कुमार पाराशर**
[निर्णय दिनांक **22.08.2024**]

सी.आई.एस. नं. **एस.सी. एन.डी.पी.एस. / 06 / 2022**
सी.एन.आर. नं. **एम.पी.1406–000361–2022**
फाइलिंग नं. **एस.सी. एन.डी.पी.एस. / 293 / 2022**
संस्थित दिनांक **04.04.2022**

(थाना भानपुरा, अपराध क्र. 469 / 2021, अंतर्गत धारा 8, 15 व 29 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985)

| | |
|---|---|
| परिवादी | म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र भानपुरा, जिला मंदसौर, म.प्र. |
| प्रतिनिधित्व द्वारा | अपर लोक अभियोजक श्री एच.वी. पाटीदार। |
| अभियुक्त | **01. शंकर सिंह** पुत्र श्री उदय सिंह सौंधिया राजपूत, आयु– लगभग 29 वर्ष, व्यवसाय– मजदूरी, (अ 1)<br>**02. ईश्वर सिंह** पुत्र श्री मानसिंह सौंधिया राजपूत, आयु– लगभग 35 वर्ष, व्यवसाय– मजदूरी / खेती, दोनों निवासीगण– ग्राम मोल्डा का खेड़ा, थाना मिश्रोली, जिला झालावाड़ (राजस्थान) (अ 2)<br>**03. सुल्तान सिंह उर्फ डूंगर सिंह** पुत्र श्री उमराव सिंह सौंधिया राजपूत, आयु– लगभग 52 वर्ष, व्यवसाय– खेती, निवासी– ग्राम सालरी, थाना शामगढ़, जिला मंदसौर, म.प्र. (अ 3) |
| प्रतिनिधित्व द्वारा | (अ 1) श्री जी.के. बापना अधिवक्ता।<br>(अ 2) श्री एस.सी. जोशी अधिवक्ता।<br>(अ 3) श्री जे.सी. बोहरा अधिवक्ता। |

| | |
|---|---|
| अपराध की तारीख | 08.10.2021 |
| प्र.सू.रि. की तारीख | 08.10.2021 |
| आरोप–पत्र की तारीख | 01.04.2022 |
| आरोपों के विरचना की तारीख | 25.05.2022 |
| साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख | 07.07.2022 |

| | |
|---|---|
| निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख | 10.08.2024 |
| निर्णय की तारीख | 22.08.2024 |
| दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख | — |

**अभियुक्त का विवरण**

| अभियुक्त की श्रेणी | अभियुक्त का नाम | गिरफ्तारी की तारीख | जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख | अपराध जिनका आरोप है | दोष मुक्ति या दोषसिद्धि | अधिरोपित दंडादेश | धारा 428 दं. प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (अ 1) | शंकर सिंह | 09.10.2021 | 27.08.2022 | धारा 15 सहपठित धारा 8 एन. डी.पी. एस. एक्ट | दोष मुक्ति | — | स्तम्भ क्र. 03 व 04 के अनुसार। |
| (अ 2) | ईश्वर सिंह | 22.01.2022 | 18.08.2022 | धारा 15 सहपठित धारा 8 एवं धारा 15 सहपठित धारा 8 व धारा 29 एन. डी.पी. एस. एक्ट | दोष मुक्ति | — | स्तम्भ क्र. 03 व 04 के अनुसार। |
| (अ 3) | सुल्तान सिंह उर्फ डूंगर सिंह | 16.02.2022 | 05.09.2022 | धारा 15 सहपठित धारा 8 एवं धारा 15 सहपठित धारा 8 व धारा 29 एन. डी.पी. एस. एक्ट | दोष मुक्ति | — | स्तम्भ क्र. 03 व 04 के अनुसार। |

**अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षियों की सूची**

क अभियोजन

| श्रेणी | नाम | साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी) |
|---|---|---|
| अ.सा. 1 | दिनेश जांगड़े | पंच साक्षी |
| अ.सा. 2 | दीपक | पंच साक्षी |
| अ.सा. 3 | सिद्धार्थ | अन्य साक्षी |
| अ.सा. 4 | शांतिलाल चौधरी | पुलिस साक्षी |
| अ.सा. 5 | नरेन्द्र सोनी | पुलिस साक्षी |
| अ.सा. 6 | राकेश बरडे | अन्य साक्षी |
| अ.सा. 7 | प्रेम रावत | पुलिस साक्षी |
| अ.सा. 8 | नारायण लाल | अन्य साक्षी |
| अ.सा. 9 | रितेष नागर | पुलिस साक्षी |
| अ.सा. 10 | कमलेश सिंगार | पुलिस साक्षी |
| अ.सा. 11 | गंगाचरण श्रीवास | पुलिस साक्षी |

ख. **प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई होः –**

| श्रेणी | नाम | साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी) |
|---|---|---|
| ब.सा. 1 | नाथू सिंह | अन्य साक्षी |

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई होः –

| श्रेणी | नाम | साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी) |
|---|---|---|
| न्या.सा. | – | – |

**अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची**

**क. अभियोजन**

| सं. क. | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | प्रदर्श पी. 1 / अ.सा. 1 | धारा 50 एन.डी.पी.एस. एक्ट का सूचना पत्र |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | प्रदर्श पी. 2 / अ.सा. 1 | पंचनामा करने नाकाबंदी, रोकने संदिग्ध वाहन बमुश्किल, पूछने नाम पता |
| 3. | प्रदर्श पी. 3 / अ.सा. 1 | पंचनामा सहमति |
| 4. | प्रदर्श पी. 4 / अ.सा. 1 | पंचनामा लिखित सहमति |
| 5. | प्रदर्श पी. 5 / अ.सा. 1 | पंचनामा जमातलाशी फोर्स, पंचान, वाहन व अनुसंधान सामग्री |
| 6. | प्रदर्श पी. 6 / अ.सा. 1 | पंचनामा तलाशी संदेही व्यक्ति व वाहन |
| 7. | प्रदर्श पी. 7 / अ.सा. 1 | पंचनामा पहचान अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा |
| 8. | प्रदर्श पी. 8 / अ.सा. 1 | पंचनामा सत्यापन इलैक्ट्रॉनिक तौल कांटा |
| 9. | प्रदर्श पी. 9 / अ.सा. 1 | पंचनामा तौल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा |
| 10. | प्रदर्श पी. 9—ए / अ.सा. 5 | एफ.एस.एल. रसीद |
| 11. | प्रदर्श पी. 10 / अ.सा. 1 | पंचनामा करने समरस, निकालने सेम्पल, करने सीलबंद, देने आर्टिकल |
| 12. | प्रदर्श पी. 10—ए / अ.सा. 5 | एफ.एस.एल. ड्राफ्ट |
| 13. | प्रदर्श पी. 11 / अ.सा. 1 | पंचनामा सील नमूना |
| 14. | प्रदर्श पी. 12 / अ.सा. 1 | सम्पत्ति जप्ती पत्रक |
| 15. | प्रदर्श पी. 13 / अ.सा. 1 | अभियुक्त शंकर सिंह का गिरफ्तारी पत्रक |
| 16. | प्रदर्श पी. 14 / अ.सा. 1 | दिनेश का धारा 161 दं.प्र.सं. का पुलिस कथन |
| 17. | प्रदर्श पी. 15 / अ.सा. 2 | दीपक का धारा 161 दं.प्र.सं. का पुलिस कथन |
| 18. | प्रदर्श पी. 16 / अ.सा. 3 | अभियुक्त ईश्वर सिंह का गिरफ्तारी पत्रक |
| 19. | प्रदर्श पी. 17 / अ.सा. 3 | अभियुक्त सुल्तान सिंह उर्फ डूंगर सिंह का गिरफ्तारी पत्रक |
| 20. | प्रदर्श पी. 18 / अ.सा. 3 | सम्पत्ति जप्ती पत्रक |
| 21. | प्रदर्श पी. 19 / अ.सा. 3 | अभियुक्त ईश्वर सिंह का धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेमोरण्डम कथन |
| 22. | प्रदर्श पी. 20 / अ.सा. 3 | अभियुक्त ईश्वर सिंह का धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेमोरण्डम कथन |
| 23. | प्रदर्श पी. 21 / अ.सा. 3 | अभियुक्त शंकर सिंह का धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेमोरण्डम कथन |
| 24. | प्रदर्श पी. 22 / अ.सा. 3 | अभियुक्त सुल्तान सिंह उर्फ डूंगर सिंह का धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेमोरण्डम कथन |
| 25. | प्रदर्श पी. 23 / अ.सा. 3 | अभियुक्त सुल्तान सिंह उर्फ डूंगर सिंह का धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का मेमोरण्डम कथन |

| | | |
|---|---|---|
| 26. | प्रदर्श पी. 24/अ.सा. 3 | पंचनामा करने तस्दीक घटनास्थल |
| 27. | प्रदर्श पी. 25/अ.सा. 3 | पंचनामा करने तस्दीक आरोपी के नाम पते की |
| 28. | प्रदर्श पी. 26/अ.सा. 3 | पंचनामा करने तस्दीक अरोपी के अफीम खेत की |
| 29. | प्रदर्श पी. 27/अ.सा. 4 | धारा 57 एन.डी.पी.एस. एक्ट का विस्तृत प्रतिवेदन |
| 30. | प्रदर्श पी. 28/अ.सा. 6 | कार्यालय तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी तहसील भानपुरा, जिला मंदसौर, म.प्र. द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना भानपुरा, जिला मंदसौर, म.प्र. को धारा 52–ए एन.डी.पी.एस. एक्ट की कार्यवाही किये जाने के संबंध में लेख पत्र |
| 31. | प्रदर्श पी. 29/अ.सा. 6 | अनुक्रमणिका 1 |
| 32. | प्रदर्श पी. 30 लगायत प्रदर्श पी. 37/अ.सा. 6 | धारा 52–ए एन.डी.पी.एस. एक्ट की कार्यवाही किये जाते समय खिंचवाये गये फोटोग्राफ्स |
| 33. | प्रदर्श पी. 38/अ.सा. 8 | नारायणलाल का धारा 161 दं.प्र.सं. का पुलिस कथन |
| 34. | प्रदर्श पी. 39/अ.सा. 9 | पंचनामा करने तस्दीक घटनास्थल |
| 35. | प्रदर्श पी. 40/अ.सा. 9 | पंचनामा करने तस्दीक घटनास्थल |
| 36. | प्रदर्श पी. 41/अ.सा. 9 | अपराध विवरण का फार्म |
| 37. | प्रदर्श पी. 42/अ.सा. 9 | जीरो कायमी |
| 38. | प्रदर्श पी. 43/अ.सा. 9 | अभियुक्त शंकर सिंह की गिरफ्तारी की सूचना |
| 39. | प्रदर्श पी. 44/अ.सा. 9 | अभियुक्त ईश्वर सिंह की गिरफ्तारी की सूचना |
| 40. | प्रदर्श पी. 45 लगायत प्रदर्श पी. 47/अ.सा. 9 | जप्ती चिटें |
| 41. | प्रदर्श पी. 48/अ.सा. 10 | एफ.एस.एल. रिपोर्ट |
| 42. | प्रदर्श पी. 49 लगायत प्रदर्श पी. 54/अ.सा. 10 | रोजनामचा सान्हे की प्रमाणित प्रतियां |
| 43. | प्रदर्श पी. 55–सी/अ.सा. 11 | जप्ती माल रजिस्टर की प्रति |

ख. प्रतिरक्षा :

| सं. क्र. | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | प्रदर्श डी. 1/अ.सा. 7 | प्रेम कुमार रावत का धारा 161 दं.प्र.सं. का पुलिस कथन |
| 2. | प्रदर्श डी. 1–ए/ब.सा. 1 | हेमलता पाटीदार पार्षद नगर परिषद् भैसोदा द्व |

| | | |
|---|---|---|
| | | ारा जारी किया गया प्रमाणीकरण |
| 3. | प्रदर्श डी. 2 / अ.सा. 5 | नरेन्द्र सोनी का धारा 161 दं.प्र.सं. का पुलिस कथन |
| 4. | प्रदर्श डी. 2–ए / ब.सा. 1 | फोटोग्राफ |
| 5. | प्रदर्श डी. 3 / अ.सा. 9 | सूची साक्षीगण |
| 6. | प्रदर्श डी. 3–ए / ब.सा. 1 | फोटोग्राफ |
| 7. | प्रदर्श डी. 4 / अ.सा. 9 | नकल रोजनामचा |
| 8. | प्रदर्श डी. 4–ए / ब.सा. 1 | फोटोग्राफ |

ग. न्यायालयीन प्रदर्श :

| सं. क्र. | प्रदर्श संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| 1 | — | — |

घ. आवश्यक वस्तुएं

| सं. क्र. | भौतिक सामग्री संख्या | विवरण |
|---|---|---|
| 1. | आर्टिकल 1 / अ.सा. 6 | धारा 52–ए एन.डी.पी.एस. एक्ट की कार्यवाही के समय निकाला गया सेम्पल |
| 2. | आर्टिकल 2 / अ.सा. 6 | धारा 52–ए एन.डी.पी.एस. एक्ट की कार्यवाही के समय निकाला गया सेम्पल |
| 3. | आर्टिकल 3 लगायत आर्टिकल 5 / अ.सा. 9 / अ.सा. 11 | जप्ती की कार्यवाही के समय निकाले गये सेम्पल |

**—::निर्णय::—**

**( आज दिनांक— 22 / 08 / 2024 को घोषित किया गया। )**

**01.** अभियुक्त शंकर सिंह को दिनांक 08.10.2021 को गोविन्द खेड़ा तिराहे के पास, ग्राम भैसोदा, लेदी रोड, ग्रिड के पास, आम रोड पर अपने सजग आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के 60 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखकर कार क्र. डीएल 06 सीएच 5576 से परिवहनित करने के लिये धारा 15 सहपठित धारा 8 स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (जिसे आगे सुविधा की दृष्टि से अधिनियम, 1985 कहा जायेगा) के अंतर्गत व अभियुक्तगण ईश्वर सिंह व सुल्तान

सिंह उर्फ डूंगर सिंह को अधिनियम, 1985 की धारा 15 सहपठित धारा 8 एवं धारा 15 सहपठित धारा 8 व धारा 29 के अंतर्गत उक्त मादक पदार्थ डोडाचूरा क्रय—विक्रय करने तथा अभियुक्त शंकर सिंह को उक्त डोडाचूरा अपने आधिपत्य में रखकर परिवहनित करने हेतु दुष्प्रेरित करने के लिये आरोपित एवं विचारित किया गया है।

**02.** प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह हैं कि अभियुक्त सुल्तान सिंह के नाम से ग्राम सालरी में अफीम का पट्टा है एवं पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया था।

**03.** अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 08.10.2021 को उपनिरीक्षक रितेश नागर हमराह फोर्स के साथ गोविन्दखेड़ा तिराहे पर वाहन चैकिंग के लिये गया था, जहां उसने दो स्वतंत्र साक्षीगण दिनेश व दीपक को रोककर बोरदा, गोविन्दखेड़ा व भैसोदा रोड की ओर से आने वाले आम रोड पर संदिग्ध वाहनों की चैकिंग फोर्स व पंचानों को मुनासिब समझ देकर नाकाबंदी करते हुये प्रारम्भ की, कुछ समय पश्चात् भैसोदा की ओर से लेदी चौराहे की ओर एक चार पहिया वाहन तेज गति से आता दिखा, जो चैकिंग देखकर टर्न कर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर रोका गया, वाहन के चालक का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम शंकर सिंह पिता उदय सिंह, निवासी ग्राम मोल्डा का खेड़ा, थाना मिश्रोली, जिला झालावाड़, राजस्थान होना बताया, अभियुक्त शंकर सिंह को उसके तलाशी के अधिकारों को संसूचित कर ली गई उसकी कार की तलाशी में 03 कट्टों में कुल 60 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा मिला, जिनमें से 500—500 ग्राम के 02—02 सेम्पल निकालकर, उक्त सेम्पलों को आर्टिकल ए—1, ए—2, बी—1, बी—2, सी—1 व सी—2 से चिन्हित किया गया व शेष मूल माल के कट्टों, जिनमें वह पाया गया था, को आर्टिकल ए, बी व सी से चिन्हित किया गया, उक्त सभी कट्टों का मुंह सुई धागे से सिलकर थाना भानपुरा की सील चपड़ी से सीलबंद किया गया, उक्त माल को जप्त किया गया, कार्यवाहियों से संबंधित सभी पंचनामे मौके पर ही तैयार किये गये, अभियुक्त शंकर सिंह को गिरफ्तार किया गया, जप्तशुदा मादक पदार्थ व वाहन को थाने पर लाकर एचसीएम के सुपुर्द किया गया एवं गिरफ्तारशुदा अभियुक्त शंकर सिंह को बंद हवालात किया गया।

**04.** अग्रेतर प्रकरण इस प्रकार है कि चौकी भैसोदामण्डी पर जीरो कायमी कर असल प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना भानपुरा में लेखबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, अधिनियम, 1985 की धारा 57 के अंतर्गत विस्तृत प्रतिवेदन एस.डी.ओ.पी. को प्रेषित किया गया, अभियुक्त शंकर सिंह का धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (जिसे आगे सुविधा की दृष्टि से अधिनियम, 1872 कहा जायेगा) का मेमोरण्डम तैयार किया गया, विवेचना के दौरान अभियुक्त ईश्वर सिंह व सुल्तान सिंह उर्फ डूंगर सिंह को प्रकरण में अभियुक्त बनाया गया और उन्हें गिरफ्तार कर उनके अधिनियम, 1872 की धारा 27 के मेमोरण्डम तैयार किये गये, तस्दीक पंचनामे बनाये गये, नक्शा मौका तैयार किया गया, साक्षीगण के पुलिस कथन लेख किये गये, पुलिस अधीक्षक के माध्यम से क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, झूमरघाट, इंदौर, म.प्र. के लिये ड्राफ्ट तैयार कर जप्तशुदा सेम्पल को रासायनिक परीक्षण हेतु क्षेत्रीय न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला, इंदौर, म.प्र. में जमा कराया गया, जहां से पावती रसीद प्राप्त हुई और परीक्षण उपरांत एफ.एस.एल. रिपोर्ट भी प्राप्त हुई, अनुसंधान पूर्ण होने के पश्चात् अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिनियम, 1985 की धारा 8, 15 व 29 के अंतर्गत आरोप पत्र बिना उपार्पण के अधिनियम, 1985 की धारा 36—ए(डी) के अंतर्गत सीधे इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

**05.** दिनांक 25.05.2022 को निर्णय के पैरा 01 में उल्लिखित अपराध के आरोप अभियुक्तगण के विरुद्ध विरचित् किए गए, जिनका प्रत्याख्यान उनके द्वारा किया गया, अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में उन्होंने अपनी निर्दोषिता का अभिवाक् करते हुये मामले में निर्दोष होने का बचाव लिया है तथा अभियुक्त शंकर सिंह ने अपनी प्रतिरक्षा में नाथू सिंह ब.सा. 01 का परीक्षण कराया है जबकि अभियुक्तगण ईश्वर सिंह व सुल्तान सिंह उर्फ डूंगर सिंह ने अपनी प्रतिरक्षा में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है।

**06.** उभयपक्ष के तर्क श्रवण किये गये, प्रकरण के निराकरण के लिये इस न्यायालय के समक्ष निम्न प्रश्न विचारणीय हैं :—

| | |
|---|---|
| **1.** | क्या अभियुक्त शंकर सिंह द्वारा दिनांक 08.10.2021 को गोविन्दखेड़ा तिराहे के पास, ग्राम भैसोदा लेदी रोड, ग्रिड के पास, आम रोड पर अपने सजग |

| | |
|---|---|
| | आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के 60 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखकर कार क्र. डीएल 06 सीएच 5576 से परिवहनित किया गया ? |
| **2.** | क्या अभियुक्तगण ईश्वर सिंह व सुल्तान सिंह उर्फ डूंगर सिंह द्वारा दिनांक 08.10.2021 को अथवा उसके पूर्व किसी समय सहअभियुक्त शंकर सिंह को 60 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा बिना वैध अनुज्ञप्ति के आधिपत्य में रखने एवं परिवहनित किये जाने हेतु दुष्प्रेरित किया गया ? |
| **3.** | क्या अभियुक्त ईश्वर सिंह द्वारा दिनांक 08.10.2021 को सहअभियुक्त सुल्तान से 60 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा 72,000/— रूपये में बिना अनुज्ञप्ति व वैध अनुमति के क्रय किया गया ? |
| **4.** | क्या अभियुक्त सुल्तान सिंह द्वारा दिनांक 08.10.2021 को सहअभियुक्त ईश्वर सिंह को 60 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा 72,000/— रूपये में बिना अनुज्ञप्ति व वैध अनुमति के विक्रय किया गया ? |
| **5.** | दोषसिद्धि या दण्डादेश, यदि कोई हो ? |

## //विनिश्चय एवं विनिश्चय के आधार//

**विचारणीय प्रश्न क्र. 1 लगायत 4 :—**

**07.** उक्त विचारणीय प्रश्नों पर अभियोजन द्वारा पेश की गई साक्ष्य समान हैं एवं उक्त विचारणीय प्रश्न एक—दूसरे से जुड़े होने के कारण तथ्य एवं साक्ष्य के विवेचन या अधिमूल्यन के समय उनकी पुनरावृत्ति न हो इस कारण उक्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

**08.** इस संबंध में दिनेश जांगड़े अ.सा. 01 ने कथन किया है कि वह अभियुक्तगण को नहीं जानता है, वह थाने की गाड़ी चलाता है इसलिये पुलिस ने उससे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाये थे, पुलिस ने उसके समक्ष अभियुक्तगण से कोई वस्तु जप्त नहीं की, उसने प्र.पी. 01 लगायत प्र.पी. 13 के दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षरों की पहचान की है, इसी आशय का कथन दीपक अ.सा. 02 व सिद्धार्थ अ.सा. 03 ने भी किया है और सिद्धार्थ अ.सा. 03 ने कथन किया है कि पुलिस ने

उसके सामने किसी आरोपी से कोई पूछताछ नहीं की थी, पुलिस ने उसे घटना के संबंध में कोई सूचना नहीं दी थी, पुलिस उसे कहीं लेकर नहीं गई थी, उसने प्र.पी. 16 लगायत प्र.पी. 26 पर अपने हस्ताक्षरों की पहचान की है।

**09.** इस संबंध में शांतिलाल चौधरी अ.सा. 04 ने कथन किया है कि वह दिनांक 08.10.2021 को एस.डी.ओ.पी. कार्यालय गरोठ में रीडर के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को आरक्षक प्रेम कुमार एस.डी.ओ.पी. कार्यालय गरोठ आया था, उक्त समय एस.डी.ओ.पी. कार्यालय में नहीं होने पर उसने एक बंद लिफाफा उसे दिया था, जिसे उसने खोला था, जिसमें थाना भानपुरा के अपराध क्र. 469 / 2021 अंतर्गत अधिनिमय, 1985 की धारा 8 / 18 व 29 का अधिनियम, 1985 की धारा 57 का विस्तृत प्रतिवेदन दो पृष्ठों में था तब उसके द्वारा अधिनियम, 1985 की धारा 57 के प्रतिवेदन की आमद का इन्द्राज कर उक्त मूल प्रतिवेदन व पंचनामे एक लिफाफे में बंद कर आरक्षक प्रेम कुमार को सौंपकर उसकी कार्यालय प्रति अपने पास रख ली थी, अधिनियम, 1985 की धारा 57 का प्रतिवेदन प्र.पी. 27 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

**10.** इस संबंध में राकेश बरडे अ.सा. 06 ने कथन किया है कि वह दिनांक 13.01.2022 को तहसीलदार भानपुरा के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को उसे थाना भानपुरा के अपराध क्र. 469 / 2021 अंतर्गत अधिनियम, 1985 की धारा 8 / 18 व 29 में अधिनियम, 1985 की धारा 52—ए की कार्यवाही किये जाने के संबंध में पत्र प्राप्त हुआ था, उक्त पत्र प्राप्ति के पश्चात् उसके द्वारा थाना प्रभारी भानपुरा को कार्यवाही किये जाने हेतु दिनांक 26.03.2022 नियत कर प्र.पी. 28 का पत्र लेख किया गया था, वह दिनांक 26.03.2022 को थाना भानपुरा पर अधिनियम, 1985 की धारा 52—ए की कार्यवाही करने हेतु उपस्थित हुआ था।

**11.** अग्रेतर कथन किया है कि एचसीएम ने थाना भानपुरा के अपराध क्र. 469 / 2021 अंतर्गत अधिनियम, 1985 की धारा 8 / 18 व 29 में थाना भानपुरा की सील से सीलबंद जप्त मादक पदार्थ आर्टिकल ए, बी व सी सफेद रंग की कपड़े की कट्टों में होकर मय तालिका के उसके समक्ष प्रस्तुत किये थे, जिसे उसने भौतिक सत्यापन कर 56 किलो 400 ग्राम होना पाया, उसने उक्त मादक पदार्थ को अच्छी

तरह से समरस करके उसमें से 500–500 ग्राम के दो सेम्पल प्लास्टिक की पारदर्शी थैलियों में भरकर उन्हें सफेद कपड़े की थैली में रखा और उक्त थैली को सुई धागे से सिलकर तहसील कार्यालय की पीतल की सील से सीलबंद किया था एवं उन्हें आर्टिकल डी–1 व डी–2 से चिन्हित किया था। उसने मूल माल व सेम्पल को एचसीएम कैलाश जोशी के जिम्मे कर दिया था और उक्त कार्यवाही के संबंध में उसने आदेश पत्रिका व अनुक्रमणिका 1 व 2 तैयार की थीं, अनुक्रमणिक 1 प्र.पी. 29 है, उसके द्वारा कार्यवाही के दौरान फोटोग्राफ लिये गये थे, जो प्र.पी. 30 लगायत प्र.पी. 37 हैं।

**12.** इस संबंध में रितेश नागर अ.सा. 09 ने कथन किया है कि वह दिनांक 08.10.2021 को चौकी भैसोदामण्डी थाना भानपुरा पर चौकी प्रभारी के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को रात्रि लगभग 09:30 बजे पुलिस अधीक्षक के आदेशानुसार बेसमय वाहन चैकिंग हेतु रवाना होकर मय फोर्स आरक्षक रामकरण, आरक्षक प्रेम रावत तथा आरक्षक नरेन्द्र को हमराह लेकर भैसोदा से गोविन्दखेडा की तरफ गोविन्दखेड़ा तिराहे से थोड़ा पहले पहुंचकर वाहन चैकिंग हेतु फोर्स को समझाईस दी जाकर वाहन चैकिंग प्रारम्भ की थी, वाहन चैकिंग में स्वतंत्र पंचान की आवश्यकता होने से राहगीर पंचान दिनेश जांगड़े तथा दीपक दशोरे को रोककर वाहन चैकिंग में पंचान की आवश्यकता होने की बताया गया, बाद वाहन चैकिंग प्रारम्भ की, वाहन चैकिंग के कुछ समय पश्चात् भैसोदा की ओर से एक चार पहिया वाहन आता दिखा, जिसके चालक द्वारा पुलिस को देखकर वाहन को पुनः जिस तरफ से आ रहा था, उसी तरफ टर्न करने लगा, शंका होने पर फोर्स व पंचानों की मदद से वाहन को रोका गया, मंदसौर जिला मादक पदार्थ तस्करी के लिए कुख्यात होने के कारण मादक पदार्थ तस्करी की शंका होने से पंचनामा करने नाकाबंदी रोकने वाहन पूछने नाम पता चालक का तैयार किया गया, जो प्र.पी. 02 है।

**13.** अग्रेतर कथन किया है कि उसके बाद उसके द्वारा वाहन चालक शंकर सिंह पिता उदय सिंह निवासी मोल्डा का खेड़ा, जिला झालावाड़, राजस्थान के वाहन में अथवा उसके पास मादक पदार्थ होने की संभावना के दृष्टिगत एन.डी.पी.एस. एक्ट के आज्ञापक प्रावधानों का पालन करते हुए अधिनियम, 1985 की धारा

50 का सूचना पत्र दिया गया, जिसमें वाहन चालक शंकर सिंह को उसके द्वारा अवगत कराया गया कि उसे उसके कब्जे में अथवा उसके वाहन में मादक पदार्थ होने की शंका है इसके लिए उसकी तथा उसके कब्जे वाले वाहन की तलाशी की आवश्यकता है, जिसे वह किसी मजिस्ट्रेट अथवा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अथवा उसे दे सकता है, उक्त संबंध में उसने पंचनामा तैयार किया था, जो प्र.पी. 01 है, उसके बाद संदेही शंकर सिंह द्वारा उसे ही अपनी तथा अपने कब्जे के वाहन क्रमांक डीएल 6 सीएच 5576 की तलाशी देने की सहमति दी गयी थी, उक्त संबंध में उसने पंचनामा तैयार किया था, जो प्र.पी. 03 है।

**14.** अग्रेतर कथन किया है कि उसके बाद उसके द्वारा संदेही शंकर सिंह की उसे तलाशी देने की लिखित सहमति भी प्राप्त की थी, उक्त संबंध में उसने पंचनामा तैयार किया था, जो प्र.पी. 04 है, तलाशी के क्रम में संदेही तथा उसके वाहन की तलाशी लेने के पूर्व सर्वप्रथम उसने स्वयं की, फोर्स की, पंचानों की तथा वाहन की तलाशी संदिग्ध शंकर सिंह को दी गयी, जिसमें कोई आपत्तिजनक वस्तु या पदार्थ नहीं मिला था, उक्त संबंध में उसने पंचनामा तैयार किया था, जो प्र.पी. 05 है, उसके बाद उसके द्वारा संदेही शंकर सिंह के शरीर की तलाशी लेने पर कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली, उसके बाद उसके कब्जे वाले वाहन की तलाशी लेने पर गाड़ी के आगे के दोनों दरवाजों को खोलकर देखने पर कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गयी, उसके बाद वाहन के पीछे के दोनों दरवाजों को खोलकर देखने पर पीछे की सीट पर तीन सफेद रंग के प्लास्टिक के कट्टे भरे हुए रखे दिखे, जिनका मुंह सुतली से बंधा हुआ था, उक्त तीनों कट्टों को वाहन से निकालकर उनके मुंह पर बंधी सुतली को खोलकर चैक किया गया तो हमराह फोर्स तथा पंचान व उसके द्वारा उक्त कट्टों में भरा पदार्थ मादक पदार्थ डोडाचूरा होना पाया गया था, उक्त संबंध में उसने पंचनामा तैयार किये थे, जो प्र.पी. 06 व प्र.पी. 07 हैं, अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा पाये जाने से उसका तौल आवश्यक होने पर अनुसंधान सामग्री में इलैक्ट्रॉनिक तौलकांटे को वाहन से निकालकर उसका भौतिक सत्यापन 100 ग्राम के बांट से किया गया, जो सही पाया गया, उक्त संबंध में उसने पंचनामा तैयार किया था, जो प्र.पी. 08 है।

**15.** अग्रेतर कथन किया है कि अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा के उपरोक्त कट्टों का अलग अलग तौल करने पर प्रत्येक कट्टे में 20–20 किलो डोडाचूरा होना पाया गया, उक्त संबंध में उसने पंचनामा तैयार किया था, जो प्र.पी. 09 है, अभियुक्त शंकर सिंह का कृत्य अधिनियम, 1985 की धारा 8 / 15 के अंतर्गत दंडनीय पाये जाने से उपरोक्त प्रत्येक कटटे में भरे मादक पदार्थ डोडाचूरा को उसके अंदर ही हाथों से हिलाकर समरस किया गया था तथा इलैक्ट्रॉनिक तौलकांटे के माध्यम से मादक पदार्थ परीक्षण हेतु 500–500 ग्राम के दो–दो सेम्पल सफेद कपड़े की थैली में अलग किये गये थे, जिन्हें आर्टिकल ए–1, ए–2, बी–1, बी–2, सी–1 व सी–2 से चिन्हित किया गया था तथा विधिवत् थाना भानपुरा की पीतल की सील से चपड़ी लगाकर सीलबंद किया गया था, मूल माल ए, बी व सी में शेष बचा मादक पदार्थ डोडाचूरा 19–19 किलो विधिवत् थाना भानपुरा की पीतल की सील से चपड़ी लगाकर सीलबंद किया गया था, उक्त संबंध में उसने पंचनामा तैयार किये थे, जो प्र.पी. 10 है, उसके बाद उसके द्वारा उपरोक्त मादक पदार्थ डोडाचूरा के मूल आर्टिकल ए, बी व सी सेम्पल के पैकेट आर्टिकल ए–1, ए–2, बी–1, बी–2, सी–1 व सी–2 अपराध में प्रयुक्त वाहन तथा अभियुक्त शंकर सिंह की तलाशी में प्राप्त एंड्रायड मोबाईल रियलमी कम्पनी का जप्त कर जप्ती पत्रक तैयार किया था, जो प्र. पी. 12 है।

**16.** अग्रेतर कथन किया है कि उसके बाद अभियुक्त शंकर सिंह को उसकी गिरफ्तारी के कारणों से अवगत करवाया जाकर गिरफ्तार की गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया था, गिरफ्तारी के समय अभियुक्त की जमातलाशी में कुछ नगदी, अधिनियम, 1985 की धारा 50 के सूचना पत्र की प्रति व जप्ती पत्रक की प्रति मिली थी, जिसे गिरफ्तारी पत्रक में दर्शाया गया था, जो प्र.पी. 13 है, अभियुक्त शंकर सिंह से मौके पर ही मादक पदार्थ डोडाचूरा के स्त्रोत के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा जप्तशुदा मादक पदार्थ डोडाचूरा उसी के गांव के ईश्वर सिंह पिता मानसिंह के कहे अनुसार परिवहन करना बताया था, उक्त मेमोरण्डम कथन प्र.पी. 21 है, मौके की संपूर्ण कार्यवाही पश्चात् उसके द्वारा समस्त जप्तशुदा सामग्री जिस सील से सील सीलबंद की गयी थी, उसका सील नमूना पंचनामा तैयार किया था, जो

प्र.पी. 11 है, मौके की संपूर्ण कार्यवाही उसके द्वारा भैरू जी मंदिर से विद्युत ली जाकर स्वयं के लैपटॉप व प्रिंटर से की गयी थी।

**17.** अग्रेतर कथन किया है कि संपूर्ण कार्यवाही पश्चात् जप्तशुदा मूल माल व आर्टिकलों को जप्तशुदा वाहन में ही रखा गया तथा जप्तशुदा वाहन को आरक्षक रामकरण से चलवाकर चौकी भैसोदामंडी हेतु रवाना किया था तथा वह मय फोर्स मय पंचान के वापस चौकी भैसोदामंडी आया था, वापसी पर जप्तशुदा सामग्री, वाहन, मूल आर्टिकल व सैंपल के पैकेट जिम्मे एचसीएम के की थी, अधिनियम, 1985 की धारा 57 का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर आरक्षक प्रेम रावत को एस.डी.ओ.पी. गरोठ को देने हेतु रवाना किया गया था, जो प्र.पी. 27 है, उसके बाद उसके द्वारा दूरभाष पर थाना प्रभारी भानपुरा को घटना की विस्तृत जानकारी दी गयी तथा उनके निर्देशानुसार अभियुक्त को चौकी भैसोदामंडी के हवालात से बाहर निकालकर पुनः पूछताछ की गयी थी, आगामी दिवस पर थाना प्रभारी के अन्य अपराध में व्यस्त होने के कारण उनके आदेशानुसार जिनके आदेशानुसार आरोपी का पीआर न्यायालय से प्राप्त कर अभियुक्त शंकर सिंह की निशानदेही पर जप्तशुदा वाहन में डोडाचूरा में भरवाने वाले स्थान की तस्दीक कर तस्दीक पंचनामा ग्राम हतुनिया थाना शामगढ़ में बनाया गया, जो प्र.पी. 24 है।

**18.** अग्रेतर कथन किया है कि थाना प्रभारी के आदेशानुसार उसके द्वारा दिनांक 22.01.2022 को फरार अभियुक्त ईश्वर पिता मानसिंह निवासी मोल्डा का खेड़ा जिला झालावाड़ राजस्थान को उसके गांव से अभिरक्षा में लेकर चौकी भैसोदामंडी पर गिरफ्तारी कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया था, जो प्र.पी. 16 है, थाना प्रभारी के आदेशानुसार उसके द्वारा अभियुक्त ईश्वर सिंह से पूछताछ कर दिनांक 23.01.22 को अभियुक्त की संस्वीकृति पर अधिनियम, 1985 की धारा 27 का मेमोरण्डम कथन लेखबद्ध किया था, जो प्र.पी. 19 है, पूछताछ में उसे अभियुक्त ईश्वर ने बताया था कि वह ग्राम मोल्डा का खेड़ा का रहने वाला है तथा मिश्रौली टोल के पास उसका ढाबा है, जहां वह ट्रक ड्रायवरों को डोडाचूरा बेचता है, उक्त डोडाचूरा हेतु उसने सालरी निवासी सुल्तानसिंह पिता उमरावसिंह से संपर्क किया था, उसके बाद उसके द्वारा उसके गांव के शंकर सिंह को कार लेकर ग्राम हतुनिया

से डोडाचूरा भरने तथा खेराबाद रामगंजमंडी वायपास पर छोड़ने हेतु कहा था।

**19.** अग्रेतर कथन किया है कि थाना प्रभारी द्वारा भी अभियुक्त ईश्वर सिंह से पूछताछ की गयी तथा उसे मेमो की तस्दीक व अन्य अभियुक्त सुल्तान सिंह की तलाश के लिए आदेशित किया गया था, उसके द्वारा दिनांक 24.01.2022 को अभियुक्त ईश्वर सिंह की निशादेही से उस स्थान की तस्दीक कर जहां से डोडाचूरा सुल्तान द्वारा कार में भरा गया था, उक्त संबंध में तस्दीक पंचनामा तैयार किया था, जो प्र.पी. 39 है, अभियुक्त ईश्वर सिंह की निशानदेही पर ग्राम सालरी पहुंचकर अभियुक्त सुल्तान के नाम पते की तस्दीक कर तस्दीक पंचनामा तैयार किया गया था, जो प्र.पी. 25 है, अभियुक्त ईश्वर द्वारा दिनांक 28.01.2022 को पुनः पूछताछ में अपराध में प्रयुक्त उसकी मोटरसायकिल की जानकारी देते हुए बताया कि घटना के बाद उसके पास मोटरसायकिल उसके रिश्तेदार गबसिंह के घर ग्राम चंदरपुरा जिला झालावाड़ राजस्थान ने रख दी है, थाना प्रभारी को अवगत कराया जाकर उनके निर्देशानुसार उसके द्वारा ग्राम चंदरपुरा जिला झालावाड़ पहुंचकर विधिवत् जप्ती पत्रक तैयार कर अभियुक्त ईश्वर सिंह की निशानदेही पर मोटरसायकिल जप्त की गयी, जिस पर नम्बर प्लेट नहीं लगी थी, जप्ती पत्रक प्र.पी. 18 है।

**20.** अग्रेतर कथन किया है कि दिनांक 16.02.2022 को उसे उसके मुखबिर द्वारा सूचना दी थी कि अभियुक्त सुल्तान सिंह निवासी सालरी का धर्मराजेश्वर के मगरे पर है, सूचना से तत्काल थाना प्रभारी को अवगत कराया गया और उनके निर्देशानुसार रवाना होकर धर्म राजेश्वर मंदिर के पास पहुंचा, जहां मुखबिर के बताये अनुसार एक व्यक्ति दिखा जो कि पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा गया और उसका नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम सुल्तान सिंह उर्फ डूंगर सिंह पिता उमराव सिंह निवासी सालरी जिला मंदसौर का होना बताया, जिसे अभिरक्षा में लेकर थाना भानपुरा पहुंचा, थाना प्रभारी को अवगत कराया तथा उनके थाना क्षेत्र के बाहर होने से निर्देशानुसार अभियुक्त से अपराध के संबंध में पूछताछ करने पर अपराध स्वीकार किया गया, अभियुक्त सुल्तान सिंह को गिरफ्तार करके गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया, जो प्र.पी. 17 है, अभियुक्त सुल्तान सिंह द्वारा दिनांक 16.02.22 को उसके अधिनियम, 1985 की धारा 27 के मेमोरण्डम कथन

लेख किया था, जो प्र.पी. 22 है।

**21.** अग्रेतर कथन किया है कि अभियुक्त सुल्तान ने पूछताछ में उसे बताया था कि वह प्रकरण के सह अभियुक्त ईश्वर सिंह को जानता है, जिसके द्वारा उससे मादक पदार्थ डोडाचूरा खरीदने के लिए संपर्क किया गया था तथा दिनांक 18.10. 2021 को ईश्वर सिंह उसकी मोटरसायकिल से तथा एक अन्य कार लेकर ग्राम हतुनिया पहुंचा था, जहां अभियुक्त सुल्तान सिंह द्वारा 60 किलो डोडाचूरा के ईश्वरसिंह से 72,000/– रूपये प्राप्त किये, बाद कार को ले जाकर उसके अंदर डोडाचूरा भरके तीन कट्टे रखकर लाया था और कार को अभियुक्त ईश्वर सिंह तथा शंकर सिंह के जिम्मे कर दिया था, अभियुक्त सुल्तान सिंह के अनपढ़ होने के कारण समस्त दस्तावेज उसको पंचानों के समक्ष पढ़कर सुनाये थे, अभियुक्त के मेमो की तस्दीक हेतु थाना प्रभारी द्वारा उसे निर्देशित करने पर उसके द्वारा दिनांक 17.02.2022 को अभियुक्त की निशानदेही पर उस स्थान की तस्दीक की गयी थी, जहां से अभियुक्त द्वारा डोडाचूरा भरकर कार अन्य अभियुक्त शंकर सिंह व ईश्वर सिंह को दिया गया था, उक्त संबंध में उसने तस्दीक पंचनामा तैयार किया था, जो प्र.पी. 40 है।

**22.** अग्रेतर कथन किया है कि दिनांक 19.02.2022 को अभियुक्त सुल्तान सिंह द्वारा पूछताछ में उसे बताया कि उसके नाम से ग्राम सालरी जिला मंदसौर में अफीम का पट्टा है, उक्त संस्वीकृति पर उसके द्वारा अधिनियम, 1985 की धारा 27 का मेमोरण्डम तैयार किया, जो प्र.पी. 23 है, उक्त संस्वीकृति की तस्दीक हेतु थाना प्रभारी के निर्देशानुसार ग्राम सालरी पहुंचकर अभियुक्त सुल्तान सिंह की निशादेही पर उसके अफीम के खेत की तस्दीक की गयी, जिसमें उस समय भी अफीम की फसल लग कर फूल आ रहे थे, उस खेत पर अभियुक्त सुल्तान सिंह का पुत्र किशोर सिंह मिला था, जिसने इस तथ्य को पुष्ट किया था कि वह खेत अभियुक्त सुल्तान सिंह का ही है, उक्त संबंध में उसके द्वारा तस्दीक पंचनामा तैयार किया, जो प्र.पी. 26 है, उसकी निशानदेही पर निरीक्षक कमलेश सिंगार द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका दिनांक 10.10.2021 को तैयार किया गया था, जो प्र.पी. 41 है, उसके द्वारा चौकी पर वापसी दर्ज कर अपराध के संबंध में चौकी भैसैदोमंडी पर शून्य की

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की थी, जो प्र.पी. 42 है।

**23.** अग्रेतर कथन किया है कि अभियुक्त शंकर सिंह की गिरफ्तारी की सूचना उसके रिश्तेदार उदय सिंह को दी थी, जो प्र.पी. 43 है, अभियुक्त ईश्वर सिंह की गिरफ्तारी की सूचना उसके पिता मानसिंह को दी थी, जो प्र.पी. 44 है, इसी आशय का कथन नरेन्द्र सोनी अ.सा. 05 व प्रेम रावत अ.सा. 07 ने भी किया है। नरेन्द्र सोनी अ.सा. 05 ने आगे कथन किया है कि दिनांक 11.10.2021 को सुबह के चार बजे एचसीएम के द्वारा उसे एक ड्राफ्ट व सेम्पल के पैकेट जिन पर आर्टिकल ए–1, बी–1 व सी–1 अंकित था व सील नमूना देकर एफ.एस.एल. इंदौर के लिये रवाना किया था, उक्त सेम्पल लेकर वह लगभग 11 बजे एफ.एस.एल. कार्यालय इंदौर पहुंच गया था, जहां उसने सेम्पल जमा कर प्राप्ति रसीद लेकर वापस चौकी पर आया था और उक्त रसीद एचसीएम के जिम्मे की थी, एफ.एस.एल. रसीद प्र.पी. 09 व एफ.एस.एल. ड्राफ्ट प्र.पी. 10 है। प्रेम रावत अ.सा. 07 ने आगे कथन किया है कि असल कायमी के बाद उप निरीक्षक रितेश नागर ने उसे अधिनियम, 1985 की धारा 57 का विस्तृत प्रतिवेदन बंद लिफाफे में देकर एस.डी.ओ.पी. कार्यालय गरोठ देने के लिये रवाना किया था, एस.डी.ओ.पी. गरोठ के बाहर होने से उसने रीडर प्रधान आरक्षक शांतिलाल को बंद लिफाफा दिया था, उक्त प्रतिवेदन प्र.पी. 27 है।

**24.** इस संबंध में नारायण लाल अ.सा. 08 ने कथन किया है कि वह अभियुक्त शंकर सिंह को नहीं जानता है, उसके घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है, पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी और न ही उसका कथन लिया था।

**25.** कमलेश सिंगार अ.सा. 10 ने प्रकरण की विवेचना की है और इस साक्षी द्वारा संबंधित दस्तावेजों, जिनका उल्लेख इस निर्णय की प्रदर्श सूची में हैं, को प्रमाणित किया गया है।

**26.** इस संबंध में गंगाचरण श्रीवास अ.सा. 11 ने कथन किया है कि वह दिनांक 08.10.2021 को पुलिस चौकी भैसोदामण्डी पर एचसीएम के पद पर पदस्थ था, उक्त दिनांक को उपनिरीक्षक रितेश नागर ने 06 सेम्पल आर्टिकल ए–1, ए–2, बी–1, बी–2, सी–1 व सी–2 लेख था एवं तीन प्लास्टिक के कट्टे सीलबंद एवं मारूति वैगनार दी थी, उसने उक्त आर्टिकल सीलबंद करके मालखाने में रख दिये

थे, मूल जप्ती माल रजिस्टर वह साथ लेकर आया, जिसके क्र. 30 पर उक्त संबंध में इन्द्राज किया था, जो प्र.पी. 55 है, जिसकी प्रकरण में संलग्न छायाप्रति प्र.पी. 55–सी है, उसने असल कायमी के लिये आरक्षक नरेन्द्र को थाना भानपुरा पर भेजा था, उसने आरक्षक नरेन्द्र सोनी को एफ.एस.एल. इंदौर भेजा था, नरेन्द्र सोनी को उसने तीन पैकेट व ड्राफ्ट देकर एफ.एस.एल. इंदौर भेजा था।

**27.** इस संबंध में नाथू सिंह ब.सा. 01 ने कथन किया है कि वह रेलवे में नौकरी करता था, वह जून 2023 में रिटायर हुआ है, भवानीमण्डी से लेदी चौराहा रोड पर गोविन्दखेड़ा तिराहे के पास उसका भैरूजी महाराज का चबूतरा बना हुआ है, जिसकी पूजा उसके पिता जी पूर्व से करते चले आ रहे थे, वह विगत 15 वर्षों से भैरूजी महाराज के चबूतरे पर पूजा कर रहा है, उसके पिता जी की मृत्यु के बाद से ही वह उक्त भैरूजी महाराज के चबूतरे पर सेवा पूजा कर रहा है, पहले भैरूजी महाराज का चबूतरा खुला था, जिसे उसने जून 2023 में रिटायरमेंट होने के बाद सीमेंट प्लास्टर करवाकर टाईल्स लगाये और पास में दीवार बनाकर उपर चद्दर लगाये तथा चबूतरे के उपर पट्टियां डलवाई, वह उक्त भैरूजी महाराज के चबूतरे पर विगत 15 वर्षों से सेवा पूजा कर रहा है, इस संबंध में वार्ड क्र. 01 पार्षद हेमलता पाटीदार द्वारा जारी प्रमाण पत्र लाया है, जिस पर उक्त वार्ड के साक्षियों ने भी हस्ताक्षर किये हुए हैं, उक्त प्रमाण पत्र प्र.पी. 01 होकर उस पर वार्ड पार्षद हेमलता के हस्ताक्षर हैं तथा अन्य साक्षीगण के भी हस्ताक्षर हैं, जो सभी ने उसके सामने किये थे, वह अपने साथ उक्त भैरूजी महाराज चबूतरे पर भैरूजी को सिंदूर लगाते हुए तथा आरती करते हुए एवं प्रसाद देते हुए फोटोग्राफ्स साथ लाया है, जो प्र.डी. 02 लगायत प्र.डी. 04 हैं, उक्त भैरूजी महाराज के चबूतरे पर लाईट कनेक्शन नहीं है क्योंकि उक्त चबूतरा जंगल में होकर गांव भैसोदा से लगभग पौन कि.मी. दूर है, भैरूजी महाराज के चबूतरे के सामने रोड होकर थोड़ी दूरी पर विद्युत विभाग का ग्रिड बना हुआ है तथा खेत है, भैरूजी महाराज के चबूतरे के आसपास कोई मकान बगैरह नहीं बने हुए हैं, भैरूजी महाराज के चबूतरे के आसपास कोई विद्युत लाईट की व्यवस्था नहीं है।

**28.** अभियोजन द्वारा अभिलेख पर संकलित उपरोक्त वर्णित साक्ष्य की विवेचना से स्पष्ट हो रहा है कि रितेष नागर अ.सा. 09 व कमलेश सिंगार अ.सा. 10 प्रकरण के सबसे महत्वपूर्ण साक्षी हैं, जिनके द्वारा प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण कार्यवाहियां की गईं, उन्होंने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है और सिलसिलेवार की गई कार्यवाहियों का स्पष्ट उल्लेख अपने कथन में किया है और कार्यवाहियों से संबंधित दस्तावेजों प्र.पी. 01 लगायत प्र.पी. 13, प्र.पी. 16 लगायत प्र.पी. 27, प्र.पी. 39 लगायत प्र.पी. 44 व प्र.पी. 48 लगायत प्र.पी. 54 को प्रमाणित किया है।

**29.** इस संबंध में अभियुक्तगण की ओर से तर्क किया गया है कि अधिनियम, 1985 की धारा 52–ए की कार्यवाही के समय मूल माल के जो कट्टे कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे, उनमें से केवल दो कट्टे सीलबंद थे और एक खुला हुआ था तथा उक्त कट्टों का कुल वजन 56 किलो 400 ग्राम था जबकि जप्तीकर्ता के अनुसार उसके द्वारा मौके पर मूल माल के सभी कट्टे सीलबंद किये गये थे और उनका कुल वजन 57 किलोग्राम था, उक्त कार्यवाही से संबंधित आदेश पत्रिका व अन्य दस्तावेज प्रकरण में संलग्न नहीं हैं जबकि कार्यपालिक मजिस्ट्रेट राकेश बरडे अ.सा. 06 के अनुसार उसके द्वारा उक्त दस्तावेज तैयार कर पुलिस को सौंपे गये थे, उक्त तथ्य अभियोजन के प्रकरण पर गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं, जिनका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिये।

**30.** अभियुक्तगण की ओर से किये गये उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में जप्तीकर्ता रितेष नागर अ.सा. 09 के कथन के परिशीलन से प्रकट हो रहा है कि उसके द्वारा अभियुक्त शंकर सिंह के आधिपत्य वाली कार क्र. डीएल 06 सीएच 5576 से तीन कट्टे जप्त किये गये थे, जिनमें अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा था और उपरोक्त तीनों कट्टों का वजन 20–20 किलोग्राम अर्थात् कुल 60 किलोग्राम था और उसके द्वारा उक्त तीनों कट्टों में से पृथक–पृथक 500–500 ग्राम अर्थात् प्रत्येक कट्टे से 01 किलोग्राम के दो सेम्पल निकाले गये थे। सेम्पल निकालने के बाद प्रत्येक कट्टे में 19 किलोग्राम अर्थात् कुल 57 किलोग्राम मूल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा शेष बचा था। यह भी प्रकट हो रहा है कि उसके द्वारा सेम्पल निकालने के पश्चात् समस्त सेम्पल के पैकेटों एवं शेष मूल मादक पदार्थ के प्रत्येक कट्टे को थाना भानपुरा की सील से सील–चपड़ी कर सीलबंद किया गया था और वापसी में

उसके द्वारा जप्तशुदा मादक पदार्थ को चौकी भैसोदामण्डी के एचसीएम के सुपुर्द कर दिया गया था। चौकी भैसोदामण्डी के तत्कालीन एचसीएम गंगाचरण श्रीवास अ.सा. 11 के कथन के परिशीलन से प्रकट हो रहा है कि रितेष नागर अ.सा. 09 के द्वारा उसे जप्तशुदा माल सौंपे जाने पर उसने उक्त माल को सीलबंद करके चौकी के मालखाने में रख दिया था। यदि उक्त दोनों साक्षीगण के द्वारा किये गये उपरोक्त कथनों को सत्य मान लिया जाये तो जप्तशुदा शेष मूल मादक पदार्थ के तीनों कट्टे मालखाने में रखे जाने के पूर्व थाना भानपुरा की सील से सीलबंद किये गये थे और उनका कुल वजन 57 किलोग्राम था।

**31.** राकेश बरडे अ.सा. 06 के कथन के परिशीलन से प्रकट हो रहा है कि थाना भानपुरा पुलिस द्वारा उसे दिनांक 13.01.2022 को अधिनियम, 1985 की धारा 52–ए की कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया गया था, जिस संबंध में उसके द्वारा कार्यवाही हेतु दिनांक 26.03.2022 नियत की गई थी और वह उक्त दिनांक को अधिनियम, 1985 की धारा 52–ए की कार्यवाही हेतु थाना भानपुरा गया था, जहां एचसीएम द्वारा उसके समक्ष जप्तशुदा शेष मूल मादक पदार्थ के कट्टे कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये गये थे, जिनका भौतिक सत्यापन व वजन उसके द्वारा किया गया था और उसके द्वारा उक्त कट्टों का वजन 56 किलो 400 ग्राम होना पाया गया था एवं उसके द्वारा कार्यवाही से संबंधित आदेश पत्रिका व अनुक्रमणिका क्र. 1 व 2 तैयार की गई थीं। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 06 में स्वीकार किया है कि उसने दिनांक 13.01.2022, 16.03.2022 व 26.03.2022 की प्रोसिडिंग लिखी थी, यह भी स्वीकार किया है कि उक्त तीनों दिनांकों की प्रोसिडिंग प्रकरण में संलग्न नहीं हैं, कण्डिका 07 में स्वीकार किया है कि अनुक्रमणिका क्र. 1 प्र.पी. 29 में तीनों कट्टों के अलग–अलग वजन का उल्लेख नहीं है, यह भी स्वीकार किया है कि उक्त तीन कट्टों में से एक कट्टा सीलबंद नहीं था, जिसका उल्लेख प्र.पी. 29 में है। कण्डिका 09 में बताया है कि उसने अधिनियम, 1985 की धारा 52–ए की कार्यवाही से संबंधित समस्त दस्तावेज थाने पर सौंप दिये थे।

**32.** राकेश बरडे अ.सा. 06 द्वारा किये गये उपरोक्त कथनों से स्पष्ट है कि उसके द्वारा दिनांक 26.03.2022 को अधिनियम, 1985 की धारा 52–ए की कार्यवाही से संबंधित आदेश पत्रिका व अनुक्रमणिका क्र. 1 व 2 तैयार की गई थीं परंतु आदेश

पत्रिका व अनुक्रमणिका क्र. 2 प्रकरण में संलग्न नहीं है, यह भी स्पष्ट हो रहा है कि कार्यवाही हेतु पुलिस द्वारा उसके समक्ष जो तीन कट्टे प्रस्तुत किये गये थे, उनका कुल वजन 56 किलो 400 ग्राम था और उनमें से एक कट्टा सीलबंद नहीं था अर्थात् बिना किसी सील के था, जिसका समर्थन प्र.पी. 29 के दस्तावेज से भी हो रहा है। उक्त स्थिति में दो प्रश्न उत्पन्न होते हैं, **प्रथम** जब रितेष नागर अ.सा. 09 ने तीनों कट्टे सीलबंद स्थिति में एचसीएम गंगाचरण श्रीवास अ.सा. 11 को सौंपे थे और गंगाचरण श्रीवास अ.सा. 11 द्वारा उक्त कट्टों को पुनः सीलबंद कर चौकी भैसोदामण्डी के मालखाने में जमा किया गया था तब अधिनियम, 1985 की धारा 52–ए की कार्यवाही के समय उक्त कट्टों में से एक कट्टा बिना सील के कैसे पाया गया। उक्त स्थिति तभी संभव हो सकती है जबकि या तो मालखाने में जमा किये जाते समय कट्टा सीलबंद न किया गया हो या मालखाने में जमा किये जाने के पश्चात् उसकी सील से छेड़छाड़ कर सील खोली गई हो, उक्त संबंध में अभियोजन की ओर से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**33.** उक्त स्थिति में जो **द्वितीय** प्रश्न उत्पन्न होता है वह यह है कि जब रितेष नागर अ.सा. 09 के द्वारा एचसीएम गंगाचरण श्रीवास अ.सा. 11 को सौंपे गये मूल माल के तीनों कट्टों का कुल वजन 57 किलोग्राम था तब अधिनियम, 1985 की धारा 52–ए की कार्यवाही के समय कार्यपालिक मजिस्ट्रेट राकेश बरडे अ.सा. 06 के समक्ष प्रस्तुत किये गये तीनों कट्टों का वजन 57 किलोग्राम से 600 ग्राम कम 56 किलो 400 ग्राम कैसे पाया गया, उक्त स्थिति भी तभी उत्पन्न हो सकती है जबकि या तो मालखाने में जमा किये जाते समय ही उक्त कट्टों का वजन 57 किलोग्राम नहीं था या मालखाने में जमा होने के पश्चात् उक्त कट्टों में भरे पदार्थ के साथ छेड़छाड़ कर कुछ पदार्थ निकाला गया हो, उक्त संबंध में भी अभियोजन की ओर से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**34.** राकेश बरडे अ.सा. 06 के कथन से यह तो प्रकट हो रहा है कि उक्त मूल मादक पदार्थ के तीनों कट्टों का कुल वजन 56 किलो 400 ग्राम था परंतु यह प्रकट नहीं हो रहा है कि जो 600 ग्राम वजन कम पाया गया, वह किस कट्टे में से कम था या सभी कट्टों में कुछ–कुछ वजन कम था। इसी साक्षी का कथन है कि उसके द्वारा उक्त सभी कट्टों का पृथक–पृथक वजन किया गया था और कार्यवाही से

संबंधित आदेश पत्रिका लेख की गई थी परंतु कार्यवाही के समय तैयार की गई अनुक्रमणिका क. 1 प्र.पी. 29 में उक्त तीनों कट्टों का पृथक–पृथक वजन लेख नहीं है और कार्यवाही से संबंधित आदेश पत्रिका व अनुक्रमणिका क. 2 प्रकरण में संलग्न नहीं है जबकि उक्त आदेश पत्रिका इस साक्षी द्वारा तैयार कर थाने पर सौंपी गई थी। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर यह निष्कर्षित नहीं किया जा सकता कि जो 600 ग्राम वजन अधिनियम, 1985 की धारा 52–ए की कार्यवाही के समय शेष मूल माल के तीनों कट्टों में कम होना पाया गया था, वह बिना सीलबंद कट्टे में से कम होना पाया गया था या सीलबंद कट्टों में से कम होना पाया गया था या सभी कट्टों में से कुछ–कुछ वजन कम होना पाया गया था। अभियोजन की ओर से अभिलेख पर इस संबंध में न तो कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है और न ही कोई तथ्य प्रकट किया गया है, जिसके आधार पर यह निष्कर्षित किया जा सके कि मूल मादक पदार्थ का वजन समय के अवसान के साथ स्वभाविक रूप से कम होने की संभावना थी।

**35.** इस संबंध में अभियोजन की ओर से तर्क किया गया है कि थाने के मालखाने में बारिश के कारण डोडाचूरा का माल गीला हो जाने व चूहों द्वारा भी कट्टों, बोरों को काटने से डोडाचूरा जमीन पर बिखरने व सड़ने के संबंध में रोजनामचा सान्हा प्र.पी. 49 में इन्द्राज किया गया था, उक्त स्थिति में एक कट्टे की सील न पाया जाना और 600 ग्राम वजन कम होना अस्वभाविक नहीं कहा जा सकता। अतः उक्त स्थिति को अभियोजन द्वारा स्पष्ट किया गया है और दर्शाया गया कारण उक्त तथ्यों का उचित स्पष्टीकरण है।

**36.** अभियोजन की ओर से किये गये उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में प्र.पी. 49 के रोजनामचा सान्हा के परिशीलन से स्पष्ट हो रहा है कि थाना भानपुरा पर दिनांक 07.01.2022 को इस संबंध में रोजनामचा सान्हा में इन्द्राज किया गया था कि थाने पर अपराधों में जप्तशुदा डोडाचूरा थाने के पीछे बने गोदाम में रखा है, जिसकी छत पर ढकी हुई तिरपाल हवा से फट गई है, छत से अंदर पानी टपकने से समस्त डोडाचूरा का माल गीला हो गया है तथा चूहों द्वारा भी कट्टों, बोरों को काटने से डोडाचूरा जमीन पर बिखरने से सड़ रहा है, रख–रखाव की अच्छी व्यवस्था नहीं होने से डोडाचूरा खराब होने की पूर्ण संभावना है।

**37.** उपरोक्त रोजनामचा सान्हा की अंतर्वस्तु के अनुसार थाने पर विभिन्न अपराधों में जप्तशुदा जो डोडाचूरा रखा था, वह बारिश के कारण गीला हो गया था, किसी पदार्थ के गीले होने की स्थिति में उसका वजन बढ़ने की संभावना होना तो स्वीकार किये जाने योग्य है परंतु गीले होने के कारण वजन कम होने की संभावना होना स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त राकेश बरडे अ.सा. 06 का कथन यह नहीं है कि उसके समक्ष प्रस्तुत किया गया मूल मादक पदार्थ का कट्टा जो सीलबंद नहीं था, वह चूहों द्वारा कुतरा गया था। यदि उक्त कट्टा चूहों द्वारा कुतरा गया होता तो इस साक्षी द्वारा उक्त संबंध में अपनी कार्यवाही में उल्लेख किया जाना अपेक्षित था परंतु ऐसा न किया जाना यही दर्शाता है कि उसके द्वारा उक्त कट्टों का भौतिक परीक्षण किये जाते समय उक्त कट्टों को चूहों द्वारा कुतरा होना नहीं पाया गया था। अतः उक्त संबंध में अभियोजन द्वारा किया गया तर्क स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

**38.** यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि घटना दिनांक 08.10.2021 की है और पुलिस द्वारा अधिनियम, 1985 की धारा 52—ए की कार्यवाही हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट को दिनांक 13.01.2022 को पत्र लेख किया गया था अर्थात् घटना के 03 माह के पश्चात्, उक्त कार्यवाही किये जाने हेतु इतना विलम्ब पुलिस द्वारा क्यों किया गया, इस संबंध में भी अभियोजन द्वारा कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से यह तो स्पष्ट हो रहा है कि जप्ती के पश्चात् जप्तशुदा मादक पदार्थ चौकी भैसोदामण्डी के मालखाने में सुरक्षार्थ जमा किया गया था परंतु यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि उक्त मादक पदार्थ थाना भानपुरा के मालखाने में किस प्रकार, किस माध्यम से और किस समय आया क्योंकि अधिनियम, 1985 की धारा 52—ए की कार्यवाही थाना भानपुरा पर की गई थी। इस संबंध में अभियोजन की ओर से अभिलेख पर कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। जप्तशुदा माल चौकी भैसोदामण्डी के मालखाने में जमा करने के संबंध में तो अभियोजन द्वारा जप्तीमाल रजिस्टर प्र.पी. 55—सी को प्रदर्शित कर प्रमाणित कराया गया है परंतु थाना भानपुरा के मालखाने में जप्तशुदा माल को जमा कराये जाने के संबंध में कोई दस्तावेज अभियोजन द्वारा प्रदर्शित कर प्रमाणित नहीं कराया गया है और जप्तीमाल रजिस्टर प्र.पी. 55—सी में भी उक्त संबंध में कोई

उल्लेख नहीं है, इस प्रकार उक्त संबंध में अभियोजन साक्ष्य पूर्णतः मौन है।

**39.** अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि जप्तीकर्ता द्वारा कार्यवाही के दौरान जो दस्तावेज तैयार किये गये हैं, उनमें लेख दिनांक के अनुसार संबंधित कार्यवाही के पूर्व ही उक्त दस्तावेज तैयार कर लिये गये थे, प्रकरण में जप्तीकर्ता का पुलिस कथन संलग्न नहीं है, जप्तीकर्ता का कथन है कि विवेचक द्वारा उसका कथन लेख किया गया था जबकि विवेचक का कथन है कि उसने जप्तीकर्ता का कथन लेख नहीं किया था, जप्तीकर्ता ही प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण साक्षी था और उसका कथन विवेचक द्वारा न लेख किया जाना विवेचक द्वारा निष्पक्ष व स्वतंत्र विवेचना न किया जाना दर्शाता है, प्रकरण में जप्तशुदा वाहन जिससे अवैध मादक पदार्थ जप्त किया जाना बताया गया है, के पंजीकृत स्वामी से पुलिस द्वारा कोई विवेचना नहीं की गई है, इस प्रकार अभियोजन जप्तशुदा वाहन का संबंध अभियुक्त शंकर सिंह से जोड़ने में असफल रहा है, जप्तीकर्ता के कथन से स्पष्ट हो रहा है कि उसके द्वारा ही प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना की गई है और विवेचक कमलेश सिंगार अ.सा. 10 द्वारा मात्र कुछ साक्षियों के कथन लेख किये गये हैं, उक्त समस्त तथ्य अभियोजन के प्रकरण पर गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं, जिनका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिये।

**40.** अभियुक्तगण की ओर से किये गये उपरोक्त तर्कों के परिप्रेक्ष्य में रितेष नागर अ.सा. 09 के कथन के परिशीलन से प्रकट हो रहा है कि वापसी में चौकी भैसोदामण्डी आने पर उसके द्वारा अधिनियम, 1985 की धारा 57 का विस्तृत प्रतिवेदन तैयार कर आरक्षक प्रेम रावत अ.सा. 07 को एस.डी.ओ.पी. कार्यालय गरोठ में प्रतिवेदन देने के लिये रवाना किया गया था। प्र.पी. 27 के प्रतिवेदन में लेख है कि *''वापसी पर चौकी पर आरोपी शंकर सिंह पिता उदय सिंह सौंधिया राजपूत, उम्र 26 साल, निवासी ग्राम मोल्डा का खेड़ा, थाना मिश्रोली, जिला झालावाड़, राजस्थान तथा ईश्वर सिंह पिता मानसिंह सौंधिया, निवासी मोल्डा का खेड़ा, जिला झालावाड़ के विरूद्ध अपराध धारा 8/15, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट का अपराध शून्य पर पंजीबद्ध किया जाकर असल अपराध क्र. 469/21 धारा 8/15, 29 एन.डी.पी.एस. एक्ट का थाना भानपुरा पर कायम किया जाकर विवेचना में लिया गया है''* उक्त प्रतिवेदन में लेख उपरोक्त तथ्य से यह प्रकट हो रहा है कि उक्त प्रतिवेदन थाना भानपुरा पर असल अपराध क्र. 469/21 कायम किये जाने के

पश्चात् तैयार किया गया था और उक्त स्थिति में ही उक्त प्रतिवेदन में अपराध क्रमांक का उल्लेख किया जाना संभव था। किसी अन्य परिस्थिति में भी बिना अपराध कायम किये अपराध का नम्बर उक्त प्रतिवेदन पर लेख किया जाना संभव था, इस संबंध में कोई तथ्य या साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है।

**41.** प्रेम रावत अ.सा. 07 के कथन के परिशीलन से प्रकट हो रहा है कि असल कायमी के पश्चात् उपनिरीक्षक रितेष नागर अ.सा. 09 के द्वारा उसे अधिनियम, 1985 की धारा 57 का विस्तृत प्रतिवेदन प्र.पी. 27 एस.डी.ओ.पी. कार्यालय गरोठ में देने हेतु रवाना किया गया था। इस प्रकार इस साक्षी के अनुसार भी असल कायमी के पश्चात् ही उसे उक्त प्रतिवेदन एस.डी.ओ.पी. कार्यालय में देने हेतु रवाना किया गया था। प्र.पी. 27 के प्रतिवेदन पर एस.डी.ओ.पी. के रीडर शांतिलाल अ.सा. 04 ने दिनांक 08.10.2021 को 03:50 बजे आमद किये जाने का इन्द्राज किया है। इस प्रकार उक्त प्रतिवेदन एस.डी.ओ.पी. के कार्यालय में दिनांक 08.10.2021 को 03:50 बजे प्राप्त हो गया था। घटना दिनांक 08.10.2021 की रात्रि के समय की है और रात्रि 12:00 बजे के पश्चात् दिनांक बदल जाता है, अतः अभियोजन कथानक के अनुसार उक्त प्रतिवेदन तकनीकी रूप से दिनांक 09.10.2021 को एस.डी.ओ.पी. कार्यालय में प्राप्त हुआ था। शांतिलाल चौधरी अ.सा. 05 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 02 में बताया है कि आरक्षक उसके पास उक्त प्रतिवेदन रात्रि 03:00–03:30 बजे लेकर आया था। इस साक्षी द्वारा किये गये उक्त कथन से भी स्पष्ट है कि उक्त प्रतिवेदन उसके द्वारा रात्रि के समय प्राप्त किया गया था। अतः प्रतिवेदन पर आमद किये जाने का दिनांक 09.10.2021 के बजाए 08.10.2021 लेख किये जाने के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि उक्त प्रतिवेदन इस साक्षी द्वारा दिनांक 07.10.2021 की रात्रि 12:00 बजे के पश्चात् 03:50 बजे अर्थात् 08.10.2021 की सुबह प्राप्त किया गया था क्योंकि उक्त प्रतिवेदन में अपराध क्रमांक का उल्लेख है और अपराध क्रमांक दिनांक 08.10.2021–09.10.2021 की रात्रि को लेख किया गया था, न कि दिनांक 07.10.2021–08.10.2021 की रात्रि को।

**42.** यद्यपि अभियोजन द्वारा असल कायमी की प्रथम सूचना रिपोर्ट को प्रदर्शित कर प्रमाणित नहीं कराया गया है परंतु उक्त दस्तावेज प्रकरण में संलग्न है, जिसके परिशीलन से प्रकट हो रहा है कि थाना भानपुरा पर प्रकरण से संबंधित असल

अपराध क्र. 469 ⁄ 21 दिनांक 09.10.2021 को सुबह 04:38 बजे पंजीबद्ध किया गया था और उक्त संबंध में थाने पर सुबह 04:00 बजे सूचना प्राप्त हुई थी। इस प्रकार थाना भानपुरा पर असल प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 09.10.2021 की सुबह 04:38 बजे लेख की गई थी परंतु अधिनियम, 1985 की धारा 57 का विस्तृत प्रतिवेदन प्र.पी. 27 एस.डी.ओ.पी. कार्यालय गरोठ में दिनांक 09.10.2021 की सुबह 03:50 बजे ही प्राप्त कर लिया गया था अर्थात् असल प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख किये जाने के पूर्व। उक्त स्थिति में यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि जब सुबह 03:50 बजे तक असल प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना भानपुरा पर लेख ही नहीं की गई थी तब उसका क्रमांक प्र.पी. 27 के प्रतिवेदन पर रितेष नागर अ.सा. 09 के द्वारा किस प्रकार लेख किया गया, इस संबंध में भी अभियोजन की ओर से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**43.** इसके अतिरिक्त प्र.पी. 51 के रोजनामचा सान्हा के परिशीलन से प्रकट हो रहा है कि दिनांक 08.10.2021 की रात्रि अर्थात् दिनांक 09.10.2021 की सुबह 02:30 बजे चौकी भैसोदामण्डी से आरक्षक प्रेम कुमार रावत को अधिनियम, 1985 की धारा 57 का विस्तृत प्रतिवेदन बंद लिफाफे में देकर एस.डी.ओ.पी. गरोठ को देने हेतु रवाना किया गया था। प्र.पी. 52 के रोजनामचा सान्हा के परिशीलन से प्रकट हो रहा है कि दिनांक 08.10.2021 की रात्रि अर्थात् दिनांक 09.10.2021 की सुबह 02:40 बजे चौकी भैसोदामण्डी से आरक्षक नरेन्द्र सोनी को चौकी भैसोदामण्डी पर दर्ज जीरो कायमी 46 ⁄ 21 देकर असल कायमी हेतु थाना भानपुरा के लिये रवाना किया गया था। उक्त तथ्य प्रकट कर रहा है कि चौकी भैसोदामण्डी से आरक्षक को असल कायमी के लिये रवाना किये जाने के पूर्व ही अधिनियम, 1985 की धारा 57 का विस्तृत प्रतिवेदन एस.डी.ओ.पी. को देने हेतु रवाना किया जा चुका था अर्थात् असल कायमी के पूर्व ही प्र.पी. 27 का प्रतिवेदन तैयार कर लिया गया था, जिस पर असल कायमी का नम्बर लेख है। उक्त तथ्य किस प्रकार संभव हुआ, इस संबंध में भी अभियोजन की ओर से कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है।

**44.** रितेष नागर अ.सा. 09 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 39 में बताया है कि विवेचक कमलेश सिंगार अ.सा. 10 ने उसका कथन लेख किया था परंतु विवेचक कमलेश सिंगार अ.सा. 10 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 05 में स्वीकार किया है कि उसने जप्तीकर्ता रितेष नागर अ.सा. 09 का कथन लेख नहीं किया था और

बताया है कि वह नहीं बता सकता कि उसने रितेष नागर अ.सा. 09 का कथन क्यों लेख नहीं किया था। इस प्रकार उक्त संबंध में उक्त दोनों साक्षीगण के कथनों में परस्पर विरोधाभास है। प्रकरण के परिशीलन से स्पष्ट है कि प्रकरण में जप्तीकर्ता रितेष नागर अ.सा. 09 का पुलिस कथन संलग्न नहीं है, उक्त साक्षी प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण साक्षी था परंतु विवेचक द्वारा उसका कथन लेख न किया जाना विवेचना की कमी को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। रितेष नागर अ.सा. 09 के कथन के परिशीलन से प्रकट हो रहा है कि उसके द्वारा जप्ती के पश्चात् भी प्रकरण में विवेचना की गई है और दिनांक 19.02.2022 तक अभियुक्त सुल्तान सिंह से पूछताछ कर उसका मेमोरण्डम कथन लेख किये जाने व मेमोरण्डम की तस्दीक किये जाने तक उसके द्वारा विवेचना की गई थी। उक्त तथ्य प्रकट कर रहा है कि जप्तीकर्ता रितेष नागर अ.सा. 09 के द्वारा घटना दिनांक के पश्चात् से आगामी 04 माह से अधिक समय तक विवेचना की गई थी। विवेचक कमलेश सिंगार अ.सा. 10 के कथन से प्रकट हो रहा है कि उसके द्वारा विवेचना के दौरान नक्शामौका तैयार किया गया और साक्षीगण के कथन लेख किये गये तथा कार्यवाही से संबंधित रोजनामचा सान्हा की नकल प्रकरण में संलग्न की गई अर्थात् उसके द्वारा प्रकरण में औपचारिक विवेचना की गई है जबकि अन्य महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में विवेचना स्वयं जप्तीकर्ता द्वारा की गई है।

**45.** अभियोजन द्वारा परीक्षित कराये गये साक्षियों में से जप्तीकर्ता रितेष नागर अ.सा. 09 व कमलेश सिंगार अ.सा. 10 ने प्रकरण में विवेचना की है परंतु उक्त दोनों ही साक्षीगण के कथनों में ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है कि उनके द्वारा जिस वाहन से मादक पदार्थ जप्त किया गया था, के संबंध में कोई विवेचना की गई थी। उक्त संबंध में अभियोजन की ओर से नारायणलाल अ.सा. 08 का परीक्षण कराया गया है परंतु इस साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य से जप्तशुदा कार क्र. डीएल 6 सीएच 5576 के संबंध में कोई सार्थक विवेचना किया जाना दर्शित नहीं हो रहा है, उक्त तथ्य भी विवेचना की कमी को दर्शित कर रहा है।

**46.** अभियुक्तगण की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि प्रकरण के स्वतंत्र साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है और उनकी घटनास्थल पर

उपस्थिति के संबंध में हमराह नरेन्द्र सोनी अ.सा. 05 व प्रेम रावत अ.सा. 07 के कथनों में विरोधाभास है, उक्त तथ्य भी अभियोजन के प्रकरण पर संदेह उत्पन्न करता है, जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिये।

**47.** अभियुक्तगण की ओर से किये गये उपरोक्त तर्क के परिप्रेक्ष्य में पंचान साक्षीगण दिनेश जांगड़े अ.सा. 01 व दीपक अ.सा. 02 के कथनों के परिशीलन से प्रकट हो रहा है कि उनके द्वारा अभियोजन कथानक का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया गया है और अभियुक्तगण को पहचानने से भी इंकार किया गया है। उनके द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया गया है कि वे थाने की गाड़ी चलाते हैं और जब भी पुलिस को आवश्यकता होती है वह उनके कहने पर कागजों पर हस्ताक्षर कर देते हैं। अभियोजन कथानक के अनुसार उक्त दोनों पंचान साक्षी घटनास्थल पर उपस्थित थे और उनके समक्ष ही जप्तीकर्ता रितेष नागर अ.सा. 09 के द्वारा अभियुक्त शंकर सिंह के आधिपत्य वाली कार से अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा जप्त किया गया था। उक्त दोनों पंचान साक्षीगण की घटनास्थल पर उपस्थिति के संबंध में हमराह नरेन्द्र सोनी अ.सा. 05 व प्रेम रावत अ.सा. 07 के कथनों के परिशीलन से प्रकट हो रहा है कि नरेन्द्र सोनी अ.सा. 05 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 10 में बताया है कि पंचान साक्षीगण मोटरसायकल से जा रहे थे जबकि प्रेम रावत अ.सा. 07 ने अपने प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 09 में बताया है कि उक्त दोनों पंचान साक्षीगण पैदल–पैदल जा रहे थे, इस प्रकार उक्त संबंध में उक्त दोनों साक्षीगण के कथनों में परस्पर विरोधाभास है और यह तब अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है जबकि उक्त साक्षीगण घटनास्थल पर अपनी उपस्थिति से इंकार कर रहे हैं।

**48.** इस प्रकार उपरोक्त समग्र तथ्य अपनी संपूर्णता में अभियोजन के प्रकरण पर युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न करते हैं। अतः यह न्यायालय अभियुक्तगण की ओर से किये गये उपरोक्त तर्कों में बल पाता है।

**49.** आपराधिक न्यायशास्त्र का सामान्य नियम है कि अभियोजन को अपना प्रकरण अभियुक्त के विरुद्ध प्रत्येक परिस्थिति पर संदेह से परे प्रमाणित करना चाहिए, परंतु अभियोजन द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य की उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो रहा है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त शंकर सिंह द्वारा दिनांक 08.10.2021 को गोविन्दखेड़ा तिराहे के पास,

ग्राम भैसोदा लेदी रोड, ग्रिड के पास, आम रोड पर अपने सजग आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के 60 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखकर कार क्र. डीएल 06 सीएच 5576 से परिवहनित किया गया एवं अभियुक्तगण ईश्वर सिंह व सुल्तान सिंह उर्फ डूंगर सिंह द्वारा उसे उक्त हेतु दुष्प्रेरित किया गया एवं उक्त अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा का क्रय–विक्रय किया गया।

**विचारणीय प्रश्न क्र. 5 :–**

**50.** अभिलेख पर संकलित साक्ष्य की उपरोक्त विवेचना के अनुसार अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त शंकर सिंह द्वारा दिनांक 08.10.2021 को गोविन्दखेड़ा तिराहे के पास, ग्राम भैसोदा लेदी रोड, ग्रिड के पास, आम रोड पर अपने सजग आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञप्ति के 60 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखकर कार क्र. डीएल 06 सीएच 5576 से परिवहनित किया गया एवं अभियुक्तगण ईश्वर सिंह व सुल्तान सिंह उर्फ डूंगर सिंह द्वारा उसे उक्त हेतु दुष्प्रेरित किया गया एवं उक्त अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा का क्रय–विक्रय किया गया। परिणामस्वरूप संदेह का लाभ देते हुये अभियुक्त **शंकर सिंह** को अधिनियम, 1985 की धारा 15 सहपठित धारा 8 एवं अभियुक्तगण **ईश्वर सिंह व सुल्तान सिंह उर्फ डूंगर सिंह** को अधिनियम, 1985 की धारा 15 सपठित धारा 8 एवं धारा 15 सपठित धारा 8 व 29 के अपराधों के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है।

**51.** दोषमुक्त अभियुक्तगण जमानत पर हैं, अतः उनके पूर्व के जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं और उनके जमानतदारों के बंध पत्र भारमुक्त किये जाते हैं तथा उनके द्वारा धारा 437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत पृथक से प्रस्तुत किये गये जमानत–मुचलके इस निर्णय से आगामी 06 माह की अवधि तक प्रभावी रहेंगे।

**52.** दोषमुक्त अभियुक्तगण द्वारा न्यायिक हिरासत में व्यतीत अवधि के संबंध में प्रमाण–पत्र धारा 428 दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अधीन तैयार किये जायें, जो इस निर्णय के अंग होंगे।

**53.** प्रकरण के अवलोकन से मूल मादक पदार्थ के संबंध में अधिनियम, 1985 की धारा 52–ए की कार्यवाही किया जाना दर्शित हो रहा है, जप्तशुदा मादक पदार्थ के सेंपल न्यायालय के मालखाने में हैं, अतः उक्त सेम्पल ड्रग डिस्पोजल समिति को नष्टीकरण वास्ते भेजे जाने हेतु थाना प्रभारी भानपुरा की ओर अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में प्रेषित किये जायें अन्यथा अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन हो।

**54.** प्रकरण में प्र.पी. 12 के जप्ती पत्रक के अनुसार जप्तशुदा मारूति वैगनआर कार डीएल 6 सीएच 5576 थाना भानपुरा पर सुरक्षार्थ खड़ी हैं। उपरोक्त कार की प्रकरण में संलिप्तता होना प्रमाणित नहीं पाया गया है, अतः अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में उपरोक्त कार उसके पंजीकृत स्वामी को नियमानुसार वापस की जाये, अन्यथा अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जाये।

**55.** प्रकरण में प्र.पी. 18 के जप्ती पत्रक के अनुसार जप्तशुदा मोटरसायकल, जिसका इंजन नं. एचए11ईएनजे04368 व चेचिस नं. एमवीएलएचएआर237जे4जे0251 5 एवं पंजीकरण क्र. आरजे 17 एसयू 1123 है, सुपुर्दगी पर है, अतः अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में भारमुक्त होगा, अन्यथा अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जाये।

**56.** प्रकरण में प्र.पी. 12 के जप्ती पत्रक के अनुसार अभियुक्त शंकर सिंह से जप्तशुदा रियलमी कम्पनी के एण्ड्रोइड मोबाईल फोन को अपील न होने की दशा में अपील अवधि पश्चात् अभियुक्त शंकर सिंह को नियमानुसार वापस किया जाये, अन्यथा अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जाये।

**57.** धारा 365 दं.प्र.सं. के प्रावधान के अनुसरण में निर्णय की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित,
दिनांकित कर घोषित किया गया।

हस्ता / –
(जितेन्द्र कुमार पाराशर)
अति. विशेष न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस. एक्ट
भानपुरा, जिला–मंदसौर, (म.प्र.)

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया गया।

हस्ता / –
(जितेन्द्र कुमार पाराशर)
अति. विशेष न्यायाधीश
एन.डी.पी.एस. एक्ट
भानपुरा, जिला–मंदसौर, (म.प्र.)

JITENDER
KUMAR
PARASHAR

Digitally signed by
JITENDER KUMAR
PARASHAR
Date: 2024.08.22
18:03:10 +0530